संख्या- 418/2026/145/नौ-9-2026-001-ई-1904298

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम सहारनपुर।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2026

विषयः पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना (अनुदान सं०-37) के अंतर्गत नगर निगम, सहारनपुर के शहरी क्षेत्र (शाकुम्बरी बिहार से ग्राम पिंजौरा तक) में ढमोला नदी के सिल्ट/गार्बेज/स्लश-लेहल आदि के सफाई कार्यों की परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर के पत्र संख्या-683/एस0टी0/2025-26, दिनांक 21.01.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना (अनुदान सं०-37) के अंतर्गत नगर निगम सहारनपुर के शहरी क्षेत्र (शाकुम्बरी बिहार से ग्राम पिंजौरा तक) में ढमोला नदी के सिल्ट/गार्बेज/स्लश-लेहल आदि के सफाई कार्यों की परियोजना हेतु कुल लागत धनराशि (जी०एस०टी० सहित) रू० 9,94,95,000/-लाख (रूपये नौ करोड़ चौरानबे लाख पन्चानबे हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रुपये 4,97,47000/- (रूपये चार करोड़ सत्तानबे लाख सैंतालीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षों के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।
(2) योजनान्तर्गत नगर निगम सहारनपुर द्वारा निकाय बोर्ड का अनुमोदन प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्राप्त कर लिया जायेगा।
(3) नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, मुख्य अभियंता, नगर निगम सहारनपुर, संबंधित कार्यदायी संस्था के अभियंता एवं सम्बन्धित वित्त नियंत्रक भी सम्मिलित हों। इसी समिति की देखरेख में ही प्रस्तावित कार्य पूर्ण कराये जायेंगे, जिससे भविष्य में अन्यथा की स्थिति से बचा जा सके।
(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकाय द्वारा स्वीकृत कार्य हेतु व्यय की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजना पर ही किया जायगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।

(8) नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए समस्त प्रकार की स्वीकृतियां/अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी हों।

(9) परियोजना में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा परियोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जायें।

(11) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(12) स्वीकृत किये जा रहे कार्य के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।

(13) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायगा।

(14) परियोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। निकाय का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही निकाय/कार्यदायी संस्था का यह भी दायित्व होगा कि परियोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध

में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं०-2/2022/ई-8-202/दस-2022 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(16) परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सिंचाई विभाग/राजस्व विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा, जिससे भविष्य में अन्यथा की स्थिति से बचा जा सके।

(17) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से 12 माह में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(18) परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(19) निष्प्रायोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(20) प्रस्तावित परियोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(21) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जाएगा।

(22) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अत: शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(23) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।

(25) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये, जिससे टाइम ओवर रन एवं कॉस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(26) परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।

(27) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/संबंधित अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(28) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि धनराशि की बचत होती है, उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,97,47000/- (रूपये चार करोड़ सत्तानबे लाख सैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021910500 पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या– E-9-417-X-2025-26, दिनांक: 24.03.2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 25-03-2026
17:43:56
(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या- 410 /2026/145/नौ-9-2026-001-ई-1904298, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
4. मण्डलायुक्त, सहारनपुर।
5. निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
8. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
9. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, सहारनपुर।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

Ravi sum budget Q0

महत्वपूर्ण/शीघ्र
संख्या-145(1)/नौ-9-2026-ई-1904298

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
सी0एण्डडी0एस0,
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ।

2. नगर आयुक्त,
नगर निगम सहारनपुर।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2026**

विषय-नगर निगम सहारनपुर के शहरी क्षेत्र (शाकुम्बरी बिहार से ग्राम पिंजौरा तक) में ढमोला नदी के सिल्ट/गार्बेज/स्लश-लेहल आदि के सफाई कार्यों की परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था नामित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर के पत्र संख्या-683/एस0टी0/2025-26, दिनांक 21.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर निगम सहारनपुर के शहरी क्षेत्र (शाकुम्बरी बिहार से ग्राम पिंजौरा तक) में ढमोला नदी के सिल्ट/गार्बेज/स्लश-लेहल आदि के सफाई कार्यों की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त संदर्भित परियोजना हेतु सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 24-03-2026
15:58:46

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
3. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

Ravi-SCM-GO - Mangal

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-25/03/2026

प्रेषण संख्या:- 418
आवंटन आदेश संख्या:- 001-418-2026-145-9-9-2026-001-E-1904298
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
191 - नगर निगमों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	सहारनपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	49747000 49747000	49747000 49747000
	योग	वर्तमान प्रगामी	49747000 49747000	49747000 49747000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ सत्तानवे लाख सैंतालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ सत्तानवे लाख सैंतालीस हजार

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव